



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

(मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के अधिसूचना क्रमांक 96 सन् 1962 द्वारा स्थापित)

क्रमांक 1801 /स्था./प्रशा./2007

विलासपुर, दिनांक : 24/07/07

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित घयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.07.2007 के विषय क्रमांक-03-ए के निर्णयानुसार श्री ठाकुर राम रात्रे की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के व्याख्याता (अजा) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनिचम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/पात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय की इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें, घालचलन संबंधी जांच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनिचम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इस नियुक्ति में आरक्षण रोष्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

विलासपुर, दिनांक : 24/07/07

पृ० क्रमांक 1802 /स्था./प्रशा./2007

प्रतिलिपि :-

01. महामहिन राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की आर सूचनार्थ अयोधित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. श्री ठाकुर राम रात्रे, जी-26/70, छोटी सिधिल लाईन, कसारीडीह, दुर्ग को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वारथ्य परीक्षण, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण तिथि से 07 दिवस के अन्दर सेवा अनुबंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी से कराये जाने पर यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत तथ्यों पर आधारित है, उक्त स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
09. निजी नस्ती।

Self Attested

उप-कुलसचिव (प्रशा./स्था.)